

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

पृथ्वीराज बनाम स्टेट व अन्य
अपील प्रकरण सं० ०१ / 202०


३१/१०/२०२१

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मथ इनीशियल जज | नम्बर व तारीख |
|-------------|---|---------------|
| 12.01.2021 | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। अपील की प्रति अधिवक्ता रेस्पोंडेंट को दिलवाई गई। पत्रावली वारंते बहस रथगन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2021 को पेश हो। | |
| 27.01.21 | अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस रथगन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2021 को पेश हो। | |
| 27.01.21 | पीठासीन अधिकारी अवकाश-समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 27.01.21 को पेश हो। | |
| 27.01.21 | अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस रथगन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2021 को पेश हो। | |
| 17.01.21 | वार संघ के द्वारा कार्य रथगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी 17.01.21 को पेश हो। | |
| 17.01.21 | पीठासीन अधिकारी अवकाश-समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 17.01.21 को पेश हो। | |
| 17.01.21 | पीठासीन अधिकारी अवकाश-समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 17.01.21 को पेश हो। | |
| 27.01.21 | पीठासीन अधिकारी अवकाश-समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 27.01.21 को पेश हो। | |
| 27.01.21 | पीठासीन अधिकारी अवकाश-समय पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 27.01.21 को पेश हो। | |
| 17.01.21 | वार संघ के द्वारा कार्य रथगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी 17.01.21 को पेश हो। | |

11.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलार्थी को पृथक-पृथक समय पर रुक-रुक कर, बार-बार आवाजें लगाई गईं, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित उपतहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तरतीब तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।


अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर